(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 124 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, हाल्दिया गोदी परिसर (हाल्दिया डॉक काम्प्लैक्स) में कोलकात्ता पत्तन न्यास में बर्थ सं. 12 में प्रदत्त सेवाओं के लिए टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमि. के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/49/2005-टीएमआईएलएल

टीएमइंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमि. आवेदक

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण कोलकात्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) में बर्थ सं. 12 पर टीएम इंटरनेशनल लाूजिस्टिक्स लिमि. (टीएमआईएएलएल) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. टीएमइंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमि. द्वारा कथित बर्थ में प्रदत्त सेवाओं के लिए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 49 / 2005-टीएमआईएलएल दिनांक 12 अक्तूबर 2007 द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 तक निर्धारित की गई थी ।

3. टीएमआईएलएल ने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे संबंधित उपयोगकर्त्ताओं के साथ परामर्श के लिए लिया गया है।

4. इस बीच में, टीएमआईएलएल ने दिनांक 16 मार्च 2010 के अपने पत्र द्वारा अन्य बातों के साथ वर्तमान प्रशुल्क की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया है।

5. चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में इस प्रस्ताव को अभी कुछ समय लगेगा और यह मानते हुए कि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है, वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 से आगे बढ़ाना जरू री हो गया है । इसलिए, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितम्बर 2010 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है ।

6. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में, ग्राहय लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष होगा तो वह निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष